रामदेव बनाम मनोहरलाल मु.नं. 98/18

दिनांक	आज्ञा पत्र
18.3.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. रेस्पो. 1 का देहांत हो चुका था जो [illegible] अपील [illegible] मानी जाती है बास्ते बहस दिनांक 17.4.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
17/4/25	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 22.5.25 को पेश हो।
22.5.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बास्ते बहस दिनांक 5.6.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
5.6.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बास्ते बहस दिनांक 3.7.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
3.7.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बास्ते बहस दिनांक 14.7.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
14.7.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बहस सुनी गई। बास्ते आदेश दिनांक 1.8.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
1.8.25	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट नामंजूर की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 98 / 2018

1 रामदेव सिंह पुत्र हरदेवाराम उम्र 50 साल जाति जाट निवासी नानी तहसील व जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 मनोहरलाल पुत्र बोदूराम जाति ब्राह्मण निवासी नानी तहसील व जिला सीकर।
2 सुखदेवी पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी नानी तहसील व जिला सीकर।
3 रघुवीर सिंह पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी नानी तहसील व जिला सीकर।
4 फूलचन्द पुत्र शिवनाथ सैन जाति नाई निवासी नानी तहसील व जिला सीकर।
5 भूमिधारक तहसीलदार तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 22.06.2018 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी सीकर उनवानी रामदेव बनाम मनोहर
दावा संख्या 52 / 2016

उपस्थिति :
1. श्री नानूराम बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रकाश बेरवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 1/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 52/2016 में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 621 रकबा 0.016 हैक्टेयर, वाके नानी तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें 0.04 हैक्टेयर की खातेदारी वादी के नाम से, 0.03 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से, 0.04 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम से एवं 0.05 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से है व इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रह है। उक्त भूमि आबादी के समीप है भूमि का अभि तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए भूमि का सही तरीके से उपयोग उपभोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाने हेतु बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 08.07.2016 को वाद को प्रारम्भिक रूप से डिक्री कर तहसीलदार सीकर से विभाजन प्रस्ताव चाहे गये थे लेकिन तहसीलदार ने नियम विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव स्वयं नहीं बनाकर गिरदावर से तैयार करवाकर दिनांक 22.06.2018 को राजस्व कैम्प नानी में बाला–बाला ही प्रस्तुत किये एवं कृषि योग्य भूमि नहीं मानकर वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विभाजन के वाद में पहले प्रारम्भिक डिक्री पारित करने के बाद तहसीलदार से विभजन प्रस्ताव मंगवाने चाहिए लेकिन उक्त प्रकरण में तहसीलदार ने विभाजन के लिए गिरदावर को आदेश पारित किया व उसने ही बिना पक्षकारों को सूचना दिये ही मनमर्जी से भूमि पर कृषि कार्य नहीं होने की वजह से विभाजन नहीं होने की रिपोर्ट दिनांक 23.04.2018 को तैयार करना बताया है, जो न्यायालय में नही भेज कर अपने पास ही रखी व दिनांक 22.06.2018 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में बाला–बाला ही प्रस्तुत की जिस पर विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई किये ही

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मनमाने तरीके से वाद को खारिज कर गलत निर्णय पारित किया है जो जैर अपील निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। उक्त प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 04.07.2018 नियत थी। विभाजन प्रस्ताव हेतु विचारण न्यायालय ने तहसीलदार सीकर को आदेशित किया था तथा नियमानुसार तहसीलदार ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर सकता है लेकिन इसके बावजूद भी तहसीलदार ने गिरदावर से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये है जो कि विधि के विपरित है इसके उपर ही विचारण न्यायालय ने विश्वास कर गलत निर्णय पारित किया है जो जैर अपील निरस्त होने योग्य है। 0.16 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा होने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है भूमि के दक्षिणी ओर रास्ता लगता है इसलिए भूमि का बंटवारा आसानी से हो सकता है। लेकिन विचारण न्यायालय पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजो की अनदेखी कर गलत निर्णय व डिक्री पारित की है जो वाद को खारिज कर गलत निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो जैर अपील निरस्त किया जाकर अपील बंटवारा किया जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट की ओर से ग्राम नानी की भूमि खसरा नम्बर 621 के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2016 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 22.06.2018 के संलग्न पटवारी हल्का एवं आईएलआर की रिपोर्ट दिनांक 23.04.2018 से स्पष्ट है कि विवादित भूमि मुख्य आबादी भूमि से बिलकुल सटी हुई है। जिसके तीन ओर आबादी बसी हुई है। एक ओर सड़क है। मौके पर उक्त भूमि में कही भी कृषि योग्य रकबा नहीं है। संपूर्ण रकबे में आबादी बसी हुई है। पुख्ता मकानात बने हुये है। विभाजन प्रस्ताव संभव नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के अनुसार विभाजन का वाद खारिज कर नियमानुसार भूमि संपरिवर्तन की कार्यवाही के लिए वादी को स्वतंत्र दी है। विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव हेतु लिखा गया था। तहसीलदार द्वारा विभाजन के संदर्भ में माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 एवं आज्ञापक प्रावधानों की पालना में स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किये बिना पटवारी एवं आईएलआर की रिपोर्ट को विभाजन प्रस्ताव के रूप में प्रेषित किया है।

विभाजन के प्रकरण में माननीय मण्डल के आज्ञापक प्रावधान है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार किया जाना होता है। प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव/मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं आईएलआर द्वारा तैयार की गई है। इसके आधार पर पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरित होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2071–2074 के अनुसार विवादित भूमि खातेदारी में दर्ज है। ऐसी स्थिति में कृषि भूमि के संदर्भ में विभाजन का वाद विधि अनुसार पोषणीय है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में माननीय मण्डल के आज्ञापक प्रावधानों की पालना में तहसीलदार स्वयं से उभयपक्ष की उपस्थिति में नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर आपत्ति प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 1/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भ.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भ.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर